IlyXud&07

शीर्ष प्राथमिकता/अनुस्मारक

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone&Fax:-0135-253154/2531072 E-Mail-eicpwduk@nic.in

Website-http://www.pwd.uk.gov.in

पत्रांकः–425 /76याता0 (क)–उ0/2017 दिनांकः 28 जुलाई, 2017

सेवा में,

1- मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0,
देहरादून/टिहरी/पौड़ी/हल्द्वानी/
अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।

2- मुख्य अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0,
देहरादून/हल्द्वानी।

3- रीजनल आफिसर,
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
उत्तराखण्ड।

विषय :– मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 13.07.2017 को अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में लीड एजेन्सी के अधिकारियों के साथ रोड़ सेफ्टी के सम्बन्ध में सपन्न बैठक का कार्यवृत्त के सापेक्ष अनुपालन आख्या।

संदर्भः–
1. **इस कार्यालय का पत्रांकः–389/76याता0(क)–उ0/2017, दिनांक 11.07.2017 (प्रति संलग्न)**
2. **परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक–4803/स0सु0/प्रवर्तन/एक–8(14)/2017, दिनांक 22.07.2017 (प्रति संलग्न)**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, अवगत कराना है कि उपरोक्त वांछित सूचनाओं को 30 जुलाई, 2017 तक आयुक्त परिवहन, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जाना है, जिसका मुख्यतः निम्नवत बिन्दुओं पर वांछित आख्या दिनांक 28 जुलाई, 2017 तक नोडल अधिकारी (रोड़ सेफ्टी)/अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून के Email ID:- sepwdddun@rediffmail.com पर प्रेषित करने का कष्ट करे।

(1) कैलेण्डर वर्ष 2013. 2014 व 2015 में हुई दुर्घटनाओं के आधार पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट के rectification हेतु Long term एवं Short term remedial measures पर की गई कार्यवाही सम्बन्धित दिनांक 31.3.2016 तक की status के अनुसार सूचनाएं, सम्बन्धित वृत्तीय कार्यालय द्वारा प्रपत्र– A व B पर उपलब्ध कराई गई, जिन्हे सचिव/आयुक्त परिवहन, उत्तराखण्ड को पूर्व में प्रेषित किया गया है, जिसके सापेक्ष आयुक्त परिवहन, उत्तराखण्ड द्वारा अपेक्षा की गई है कि Short term/Long term remedial measures के सापेक्ष की गई कार्यवाही की दिनांक 30.06.2017 तक की अद्यतन स्थिति प्रपत्र A व B पर उपलब्ध कराई जाय।

(2) वर्ष 2014, 2015 व 2016 में हुई दुर्घटनाओं के आधार पर कुल 65 ब्लैक स्पॉट चिन्हित हुए हैं, जिसकी प्रति भी आपको इस कार्यालय के पत्रांक–317/76याता0(क)–उ0/2017, दिनांक 20.06.2017 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।

क्रमशः पेज 02 पर.........

कृपया 65 ब्लैक स्पॉट की सूची में वर्णित ब्लैक स्पॉट का जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा निरीक्षण कर पूर्व प्रेषित प्रपत्र–'A' एवं 'B' पर आख्या उपलब्ध कराया जाना है। निरीक्षण के दौरान यह भी अध्ययन करना है कि 65 ब्लैक स्पॉट में किन स्थलों पर पुनः दुर्घटना हुई है, जिसे प्रपत्र 'A' पर सूचित कर दिया जाय।

चूँकि उत्तराखण्ड राज्य में लोक निर्माण विभाग के मार्गो हेतु रोड़ सेफ्टी ऑडिटर की Empanelment की प्रक्रिया गतिमान है, तब तक बिना रोड़ सेफ्टी ऑडिटर के जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा उक्त 65 ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण कर प्रपत्र–'A' पर सूचना प्रेषित की जाय।

(3) पूर्व में आपको प्रेषित इस कार्यालय के पत्रांक– 389/76याता0(क)–उ0/2017, दि0 11.07.2017 द्वारा संलग्न, सचिव/आयुक्त, परिवहन उत्तराखण्ड का पत्रांक–4277/प्रवर्तन/स0सु0/एक–8(27)/2017, दिनांक 24.06.2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

अवगत कराना है कि संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 28.06.2017 को सम्पन्न बैठक हेतु दो प्रारूप (Excel Sheet & Word Sheet) सभी विभागों को उपलब्ध कराये गये थे (संलग्न)। उक्त प्रारूपों पर पूर्ण/स्पष्ट सूचना भी माह जुलाई, 2017 के अन्त तक उपलब्ध कराया जाना है तथा उक्त प्रारूपों को इस कार्यालय के पत्रांक–389/76याता0(क)–उ0/2017, दिनांक 11.07.2017 द्वारा आपको पूर्व में ही प्रेषित किया गया है।

Word sheet format के मुख्य बिन्दु:–

बिन्दु– 02(6) का अवलोकन करने का कष्ट करें। शासन की अधिसूचना संख्या–52/IX/424/2009, दिनांक 30.01.2009 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जनपदों हेतु मार्गो पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा का निर्धारण किया गया है। उक्त निर्धारित गति सीमा का सूचना पट्ट (Board) मार्गो पर लगाए जाने की सूचना का विवरण लक्ष्य एवं उपलब्धि सहित प्रेषित किया जाना है।

बिन्दु 03(4) State Highway पर हुई दुर्घटनाओं पर आधारित विश्लेषण के अनुसार Road Patrol हेतु की गई व्यवस्था से अवगत कराया जाना है। यदि किसी खण्ड के अधीन राज्य मार्ग नहीं है तो सूचना 'N.A.' दी जाय।

बिन्दु 03(7) मार्गो पर कुल कितने Hoardings Removal किये जाने थे व कितने हटा दिये गये हैं, उसकी सूचना प्रेषित किया जाना हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार साल में दो बार अर्थात जून व दिसम्बर में सूचनाओं को Update कर प्रेषित किया जाना है। (माह जून की Updated सूचना अपेक्षित है।)

बिन्दु 03(8) मार्गो के फुटपाथ पर हुए अतिक्रमण की संख्या व हटाये गये की संख्या प्रेषित किया जाना है।

Excel sheet format के मुख्य बिन्दु:–

1- **Institutional mechanism for Road Safety in states** के अन्तर्गत Action Plan के सापेक्ष yearwise target का विवरण, Format पर उपलब्ध कराया जाना है।

क्रमशः पेज 03 पर.........

2- Road Engineering Measure:-

(i) Road engineering measure के अन्तर्गत वर्ष 2013, 2014 व 2015 एवं वर्ष 2014, 2015 व 2016 में हुई दुर्घटनाओं के आधार पर Identifed Black Spot (93+65) के सापेक्ष की गई कार्यवाही का विवरण format प्रेषित किया जाना है।

(ii) आगणन, जिसकी लागत 10.00 करोड़ से अधिक हो, मार्ग की श्रेणी का विवरण सहित संख्या एवं उक्त आगणनों की संख्या के सापेक्ष Road Safety Auditor द्वारा Audit कराये गये आगणनों की संख्या का विवरण उपलब्ध कराया जाना है।

तथा उक्त Format के दूसरे कॉलम में ब्लैक स्पॉट सम्बन्धित वांछित सूचना भी प्रेषित किया जाना हैं एवं उक्त format के अन्य कॉलम में Traffic calming techniques स्थापित किये जाने योग्य स्थलों की संख्या, लक्ष्यों व उपलब्धि के अनुसार विवरण प्रेषित किया जान है।

3- **Law Enforcement** के अन्तर्गत Removal of Hoarding & other distraction तथा removal of Pedestrian path Encrochment removal का विवरण प्रस्तुत किया जाना है।

कृपया प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए, उक्त बिन्दुओं पर सूचनाएं सम्बन्धित निर्माण एजेन्सीयों से संकलित कर नोडल अधिकारी (रोड़ सेफ्टी)/अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून कार्यालय में प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि सूचनाओं को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति, भारत सरकार MOR&H नई दिल्ली को शीघ्र प्रेषित की जा सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

28/7/2017

(आर0सी0पुरोहित)

मुख्य अभियन्ता स्तर–।(मुख्यालय)

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को संज्ञानार्थ/सूचनार्थ प्रेषितः–</u>

1– प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय को संज्ञानार्थ प्रेषित।

2– सचिव परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन।

3– प्रमुख सचिव/सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन।

4– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

5– श्री के0पी0 उप्रेती, नोडल अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।

6– अधीक्षण अभियन्ता, ...वृत्त, लो0नि0वि0/रा0मा0.........................को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

मुख्य अभियन्ता स्तर–। (मुख्यालय)